प्रेस नोट दिनांक-20.06.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस व एसटीएफ टीम अयोध्या की संयुक्त कार्यवाही में ₹25,000 का ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त राजेश खन्ना गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस व एसटीएफ अयोध्या की संयुक्त टीम द्वारा ₹25,000 का इनामी अन्तर्जनपदीय अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने, जो चोरी एवं अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में वांछित था, जिसको थाना क्षेत्रान्तर्गत मवई बाईपास तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त राजेश खन्ना पर जनपद जनपद सिद्धार्थनगर, जनपद श्रावस्ती, जनपद प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, गुण्डा एक्ट, एनडीपीएस एक्ट जैसे कुल 06 अभियोग दर्ज है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.12.2024 को वादी निवासी मोहल्ला नरसिंहगढ़ थाना कुण्डा अपनी माता को साथ लेकर इंडियन बैंक शाखा कुण्डा से ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की नकद धनराशि निकालकर, उसे एक थैले में आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं पासबुक सहित रखकर होंडा एक्टिवा वाहन की डिग्गी में सुरक्षित कर कमल स्टूडियो कुण्डा गया था। स्टूडियो से फोटो खिंचवाकर घर लौटने पर जब डिग्गी खोली गई तो थैला सहित पूरी धनराशि व अन्य दस्तावेज गायब थे। जब CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें दो बाइकों से आए चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर डिग्गी खोलकर उक्त सामान चोरी करते स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 371/2024 धारा 303 (2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ बनाम 02 बाइक 04 व्यक्ति नाम पता का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए थे। उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ बरामदगी पूर्व में की गई थी। प्रकाश में आया अभियुक्त राजेश खन्ना लगातार फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त राजेश खन्ना पर 25000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व नें उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का रामप्रताप व एसटीएफ फील्डयूनिट टीम अयोध्या उ0नि0 शिवकुमार अवस्थी, हे0का0 सन्तोष सिंह, हे0का0 रजनीश सिंह, कमाण्डो हे0का0 राजकुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान, प्राप्त सूचना पर थाना कुण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 371/2024 धारा 303 (2) बीएनएस से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र रामसागर निवासी ग्राम छेदक पुरवा बनगाई बर्बार थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना क्षेत्रान्तर्गत मवई बाईपास तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

संबंधित प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना करौंदीकला जनपद सुल्तानपुर अभियुक्तगण राजेश खन्ना उपरोक्त के साथियों की गिरफ्तारी, अभियोग से सम्बंधित माल की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राजेश खन्ना उपरोक्त व उसके साथियों का

नाम प्रकाश में लाया गया था। प्रकरण में जब अभियुक्त राजेश खन्ना लगातार फरार चल रहा था, तब उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये) का पुरस्कार (इनाम) घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र रामसागर निवासी ग्राम छेदक पुरवा बनगाई बर्बार थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र रामसागर निवासी ग्राम छेदक पुरवा बनगाई बर्बार थाना धानेपुर जनपद गोण्डा का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 83/2023 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना बासी जनपद सिद्धार्थनगर।
02. मु0अ0सं0 352/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बासी जनपद सिद्धार्थनगर।
03. मु0अ0सं0 2201/2017 धारा 392/411 भादवि थाना भिंगा जनपद श्रावस्ती।
04. मु0अ0सं0 3105/2017 धारा 392/411 भादवि थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।
05. मु0अ0सं0 491/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
06. मु0अ0सं0 371/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
थाना कुण्डा- उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का रामप्रताप थाना कुण्डा प्रतापगढ़।

एसटीएफ फील्डयूनिट टीम अयोध्या- उ0नि0 शिवकुमार अवस्थी, हे0का0 सन्तोष सिंह, हे0का0 रजनीश सिंह,कमाण्डो हे0का0 राजकुमार यादव

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थानाक्षेत्र जेठवारा के जगदीशपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
थाना जेठवारा में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 376डी ,342, 506, 365 भादवि बनाम 03 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना जेठवारा प्रभारी उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 कैलाश यादव, हे0का0 हेमन्त यादव, का0 राजीव यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त महेन्द्र यादव पुत्र भगौती प्रसाद यादव निवासी ग्राम जगदीशपुर कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष को थानाक्षेत्र जेठवारा के जगदीशपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
महेन्द्र यादव पुत्र भगौती प्रसाद यादव निवासी ग्राम जगदीशपुर कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 राजीव वर्मा मय हमराह हे0का0 कैलाश यादव, हे0का0 हेमन्त यादव, का0 राजीव यादव थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण, पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रमेश कुमार को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना नवबागंज क्षेत्रान्तर्गत सिन्दुराईपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व नें उ0नि0 वीरपाल सिंह मय हमराह हे०का० शिशुपाल सिंह व का0 अजय कुशवाहा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2025 धारा 87 / 137 (2)/65 (1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त रमेश कुमार पुत्र गुडऊ उम्र करीब 19 बर्ष निवासी छितौना मरियानी थाना ऊंचाहार जनपद रायवरेली को थाना क्षेत्रान्तर्गत सिन्दुराईपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
रमेश कुमार पुत्र गुडऊ उम्र करीब 19 बर्ष निवासी छितौना मरियानी थाना ऊंचाहार जनपद रायवरेली।

पुलिस टीम-
उ0नि0 वीरपाल सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह व का0 अजय कुशवाहा थाना नवाबगंज प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

फतनपुर पुलिस को बड़ी सफलता, जिंदा देशी बम व चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था कि "अवैध विस्फोटक पदार्थों एवं आपराधिक गतिविधियों" में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौरा पूरेबदल, नाथ का पुरा मसौली नहर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है, उनके कब्जे से 05 अदद जिंदा अवैध देशी बम एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतनपुर में लूट, मारपीट, धमकी जैसे गंभीर अपराध दर्ज है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अवैध विस्फोटक सामग्री एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम को लेकर विशेष सतर्कता बरते जाने हेतु थाना स्तर पर लगातार प्रभावी चेकिंग अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि ऐसे तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा व उ0नि0 अंजर अब्बास मय हमराह हे0का0 शिवानंद यादव, का0 सर्वेश पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों, 01. सचिन यादव पुत्र ज्वाला प्रसाद यादव निवासी ग्राम कोयम थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 2. भाष्कर सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को 05 अदद जिंदा अवैध देशी बम व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना(कूटरचित नंबर प्लेट) के साथ थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौरा पूरेबदल, नाथ का पुरा मसौली नहर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 अदद जिंदा अवैध देशी बम व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना(कूटरचित नंबर प्लेट) बरामद किया गया है। जिसके संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 127/2025 धारा 317(2)/318(4)/338/336(3)/340 (2) बीएनएस व धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हमारा कई लोगो से मारपीट हो चुका है, लोगो से वर्चस्व को लेकर हमारी लड़ाई होती रहती है। लोग हमसे रंजिश रखते है, पकड़े जाने से बचने के लिए यह बम अपने पास रखा था। यदि हम लोग कहीं घिर जाएं तो यह बम फेक कर लोगो मे दहशत पैदा करके भाग निकलेगे। हम लोग चोरी की गाडी से उसका नंबर प्लेट बदलकर लूट, चोरी की घटना कारित करते जिससे हमारा नाम न आ पाये।

पकड़े गये अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मो0सा0 प्लेटिना चोरी की है। जिसे मैने कुछ दिन पहले गौरा स्टेशन के पास से चुराया था। आज हम दोनो उक्त मोटरसाइकिल प्लेटिना को बेचने की फिराक में जा रहा थे, कि आप लोगों ने पकड़ लिया। हम लोग गाड़ी चुरा कर उसका नंबर प्लेट बदलकर सीधे-साधे लोगों को ऊंचे दामों में बेच देते है। उससे जो भी पैसा मिलता है उसे आपस में बांटकर अपना शौक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सचिन यादव पुत्र ज्वाला प्रसाद यादव निवासी ग्राम कोयम थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।
भाष्कर सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

अभियुकों का आपराधिक इतिहास-
1- अभियुक्त सचिन यादव पुत्र ज्वाला प्रसाद यादव निवासी ग्राम कोयम थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 323,324,506 भादवि थाना फतनपुर प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 288/2022 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना फतनपुर प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 105/2020 धारा 147,323,336,427,435,504,506 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

2- अभियुक्त भाष्कर सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 34/2024 धारा 323,324,506 भादवि थाना फतनपुर प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 288/2022 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना फतनपुर प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 09/2023 धारा 341,392,411 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
05 अदद जिंदा अवैध देशी बम व चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना(कूटरचित नंबर प्लेट)

पुलिस टीम-
उ0नि0 दिलीप कुमार वर्मा व उ0नि0 अंजर अब्बास मय हमराह हे0का0 शिवानंद यादव, का0 सर्वेश पटेल थाना फतनपुर, प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा खेत में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया मोनोब्लॉक पंपसेट बरामद

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण

अभियुक्त बबलू उपरोक्त को क्षेत्रान्तर्गत गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया 5 हॉर्स पावर मोनोब्लॉक पंपसेट बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम शुकुलपुर सदर थाना कोतवाली नगर के खेत में एक कमरा है, जिसमें मोटर जो मोनोब्लाँक है पंखे सहित निकालकर कमरे में रख दी गई थी एवं उस कमरे में एक स्टेबलाइजर 8 किलोवाट एक समरसेबल 1 हार्स पावर लगी थी। वादी दिनांक 19.6.2025 को सुबह उसी कमरे पर गया तो देखा कि उसका ताला टूटा हुआ है और अज्ञात चोरों द्वारा मोनोब्लाक 5 हार्स पावर की मोटर पंखा सहित व 8 किलोवाट का स्टेबलाइजर चोरी कर लिया गया है। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 331 (3) / 305 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उक्त घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया था कि टीम गठित कर शीघ्र अज्ञात अभियुक्त की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा चोरी गये माल की बरामदगी की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाए। पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्य करते हुए एक दिन के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी किया गया मोनोब्लॉक पंपसेट बरामद किया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व नें उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 सागर सिंह व का0 रंजीत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2025 धारा 331 (3) / 305 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त बबलू पुत्र मो0 फिरोज निवासी सदर बाजार रामचरन रोड, मोहम्मदी मस्जिद के बगल थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त बबलू उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद चोरी का मोनोब्लॉक 5 हॉर्स पावर पंपसेट को बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 19.06.2025 को सुबह 9 बजे के करीब मैंने शुकुलपुर में खेत में बने एक कमरे से यह मोटर पंप चुराया है। और इसे बेचने के लिए अंतू की तरफ जा रहा था कि आप लोगों द्वारा हमे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
बबलू पुत्र मो0 फिरोज निवासी सदर बाजार रामचरन रोड, मोहम्मदी मस्जिद के बगल थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 बृजेश कुमार मय हमराह का0 सागर सिंह व का0 रंजीत यादव थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मारपीट के दौरान महिला की मृत्यु के प्रकरण में 02 नामजद अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में त्वरित व प्रभावी रूप से कार्यवाही संपादित की गई।

प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही द्वारा मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त/ अभियुक्ता को क्षेत्रान्तर्गत भूपियामऊ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 19.06.2025 को वादी के पड़ोसियों से रुपये के लेन-देन को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट की गई। इसी दौरान अभियुक्तगणों द्वारा वादी की मां के साथ एक अभियुक्त ने ईंट से प्रहार किया, जिससे वादी की मां घायल हो गई थी। घायल को ईलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.06.2025 को वादी निवासी खजोहरी, नगर पंचायत कटरा मेंदनीगंज, थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ के घर पर पड़ोसी प्रदीप यादव पुत्र रामसुख आदि द्वारा पैसे के लेनदेन को लेकर कहासुनी के दौरान एकराय होकर गाली-गलौज व मारपीट की गई। प्रदीप के ललकारने पर परिजनों ने वादी की माँ को मारा-पीटा तथा प्रदीप ने ईंट से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलावस्था में परिजन द्वारा महिला को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने

उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 146/2025 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की संवेदनशीलता एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में त्वरित व निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए तथा नामजद अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही की जाए।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह उ0नि0 श्री मृत्युजंय पाण्डेय, हे०का दुर्गविजय कुमार, म0का0 अंजली त्रिवेदी मय मय चालक कां० धीरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2025 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त/ अभियुकता 1. प्रदीप यादव पुत्र रामसुख यादव नि0 खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद उम्र 23 वर्ष, 02, अभियुक्ता रोशनी यादव पुत्री रामसुख यादव नि० खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत भुपियामऊ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक- 19.06.2025 का शाम को हमारा पडौसी से झगड़ा हो गया था। हमारे 18,000 रुपये (अट्ठारह हजार रुपये) नही दे रहे थे। हमें पैसे की सख्त जरुरत थी। इसी बात को लेकर आपस में हम लोगो में हाथापाई हो गयी और विन्दु देवी को चोट लग गयी। वह मौके पर ही गिर पड़ी थी। बाद में हम लोगो को पता चला कि उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी। हम डर के छिप गये थे और आज हम दोनो गाड़ी पकड़कर प्रयागराज जाते और वहां से दिल्ली चले जाते कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-
1. प्रदीप यादव पुत्र रामसुख यादव नि0 खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद उम्र 23 वर्ष।
02. अभियुक्ता रोशनी यादव पुत्री रामसुख यादव नि० खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 24 वर्ष।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात श्री अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह उ0नि0 मृत्युजंय पाण्डेय, हे०का दुर्गविजय कुमार, म0का0 अंजली त्रिवेदी मय मय चालक कां० धीरज कुमार थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

लूट की घटना का खुलासा — संग्रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता, 01 अपराधी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन पर थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा लूट की घटना के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त के घर मदनगढ बेल्हा के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.04.2025 को वादी निवासी ग्राम व पोस्ट बकोल, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़, शादी समारोह से लौटते समय प्राथमिक विद्यालय बकोल के पास पहुंचे, तभी सफेद अपाची बाइक सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर गिरा दिया। अभियुक्तगण द्वारा वादी से उनका मोबाइल व रुपये नगद लूट लिए। जिसके संबंध में वादी की तहरीर मु0अ0सं0 65/2025 धारा 309 (4) बी.एन.एस बनाम सफेद अपाची बाइक सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व नें उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह उ0नि0 विनय वर्मा, का0 धनन्जय श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 20.06.2025 को देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 65/2025 धारा 309 (4) बी.एन.एस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, सोहराब अली पुत्र शफी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेल्हा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष को थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के अभियुक्त के घर मदनगढ बेल्हा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोहराब अली पुत्र शफी मोहम्मद उर्फ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेल्हा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 21 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह उ0नि0 विनय वर्मा, का0 धनन्जय श्रीवास्तव थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।

थाना अन्तू व थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

खोए/चोरी गए मोबाइल फोन की बरामदगी एवं सुपुर्दगी

पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ डॉ0. अनिल कुमार के निर्देशानुसार गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना अन्तू व थाना रानीगंज व थाना मानिकपुर के नेतृत्व में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 12 से 20 जून 2025 तक CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल से प्राप्त तकनीकी सूचनाओं के आधार पर थाना अन्तू व थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा कुल 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। समस्त मोबाइल फोनों को विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित स्वामियों को थाना परिसर में औपचारिक रूप से सुपुर्द किया गया।

इस अवसर पर मोबाइल प्राप्त करने वाले नागरिकों द्वारा प्रतापगढ़ पुलिस के इस सराहनीय प्रयास हेतु आभार प्रकट किया गया। साथ ही, थाना स्तर पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों द्वारा उपस्थित नागरिकों को मोबाइल गुमशुदगी या चोरी की स्थिति में त्वरित रिपोर्ट दर्ज कराने एवं CEIR पोर्टल पर मोबाइल का विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया गया।

मुख्य तथ्यः
कुल 13 मोबाइल फोन बरामद कर वैध स्वामियों को सुपुर्द।
CEIR पोर्टल एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से त्वरित ट्रेसिंग।
जनसामान्य से शीघ्र सूचना एवं सहयोग प्रदान करने की अपील।

जनहित में अपील
जनपद पुलिस आम नागरिकों से यह अपील करती है कि यदि मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाए तो उसकी तत्काल सूचना निकटतम थाने में दर्ज कराएं एवं https://www.ceir.gov.in पोर्टल पर उसका विवरण अपलोड करें, जिससे मोबाइल की बरामदगी शीघ्र सुनिश्चित की जा सके।

01. ’थाना अन्तू पुलिस द्वारा बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीमः-
दिनांक 12.06.2025 से अब तक 10 मोबाइल फोन बरामद
कम्प्यू0 आपरेटर श्री रवि जायसवाल, का0 आनन्द मोहन (थाना अन्तू)
’तकनीकी सहयोग (सर्विलांस टीम)’
का0 सनोज कुमार

02. ’थाना रानीगंज पुलिस द्वारा बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीमः-
दिनांक 19.06.2025 को 03 मोबाइल फोन बरामद
कम्प्यू0 आपरेटर यशपाल सिंह, का0 राजनरायन यादव , का0 योगेन्द्र पाल (थाना रानीगंज)
तकनीकी सहयोग (सर्विलांस टीम)
का0 सनोज कुमार

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस

गंभीर अपराधों में संलिप्त 14 वांछित फरार अपराधियों पर ₹25,000- ₹25,000/- का इनाम घोषित

थाना कोतवाली नगर, थाना दिलीपपुर व थाना पट्टी से कुल 14 वांछित फरार अपराधियों पर ₹25,000- ₹25,000/- का किया गया इनाम घोषित

जनपद प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा फरार वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा कठोर/सख्त कार्यवाही करते हुए जनपद के विभिन्न थानों से संबंधित 14 वांछित फरार अपराधियों पर ₹25,000- ₹25,000/- की पुरस्कार राशि घोषित की गई है।

इनाम घोषित सभी अभियुक्त हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, डकैती, मारपीट, धमकी देने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं तथा फरार चल रहे हैं। पुलिस द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

इनाम घोषित किए गए अपराधियों का विवरण इस प्रकार है:-
01-थाना कोतवाली नगर-

मु0अ0सं0- 269/2025 धारा 109(1), 110, 3(5), 351 (2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना को0 नगर प्रतापगढ़ में निम्न अभियुक्तगणों को रु0 25000/- का इनामिया घोषित किया गया -
1.अलीम उर्फ मोनू s/o मो0 लतीफ निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
2.नियाज पुत्र सोहराब निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

02-थाना दिलीपपुर-
मु0अ0सं0 108/25 धारा-109(1)/110/115(2)/288/351(3)/352/190/191(2)/191 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ में निम्न अभियुक्तगणों को रु0 25000/- का इनामिया घोषित किया गया -
1.भारत सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह नि0 नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
2.शैलेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
3.अभिषेक सिंह पुत्र जीतलाल नि0 नौहर हसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
4.मोनू सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह नि0 नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
5.सुनील उर्फ डब्बू सरोज पुत्र रामकलप सरोज नि0 बीरमऊ थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।

03-थाना पट्टी से-
मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़ में निम्न अभियुक्तगणों को रु0 25000/- का इनामिया घोषित किया गया -
1.रुकसार पुत्र मोईनुद्दीन उर्फ मोईन निवासी ग्राम पूरेदेवजानी थाना कंधई प्रतापगढ़।
2.शहबाज उर्फ लम्बू पुत्र मोईनुद्दीन उर्फ मोईन निवासी पूरेदेवजानी थाना कंधई प्रतापगढ़।
3.शहरेयार पुत्र इबरार निवासी बहरापुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
4.महफूज पुत्र मोईद अली नि0 पूरे देव जानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
5.गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर प्रता0।
6.शहंशाह पुत्र सोहराब निवासी तिवारीपुर खुर्द बहरूपुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़।
7.शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम गडवारीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

ईनाम घोषित फरार अपराधियों का आपराधिक इतिहास-
थाना कोतवाली नगर-
1-अलीम उर्फ मोनू s/o मो0 लतीफ निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
1. मु0अ0सं0-256/2024 धारा 323, 341, 427, 504, 506 भादवि थाना को0 नगर, प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0- 269/2025 धारा 109(1), 110, 3(5), 351 (2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना को0 नगर प्रतापगढ़।

2-नियाज पुत्र सोहराब निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
1. मु0अ0सं0- 269/2025 धारा 109 (1), 110, 3(5), 351 (2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना को0 नगर, प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर-
1-भारत सिंह पुत्र श्यामलाल सिंह नि0 नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
1.मु0अ0सं0 439/11 धारा-323/325/504/506 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
2.मु0अ0सं0 456/11 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।

3.मु0अ0सं0 79/22 धारा-323/325/504/506 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
4.मु0अ0सं0 49/24 धारा- 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
5.मु0अ0सं0 82/25 धारा-109 (1) / 115 (2) / 3(5)/351 (3) / 352 बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
6.मु0अ0सं0 108/25 धारा-109(1)/110/115(2)/288/351(3)/352/190/191(2)/191 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

2-शैलेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
1.मु0अ0सं0 476/18 धारा-323/427 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 49/24 धारा- 147/148/323/427/504/506 भादवि थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
3.मु0अ0सं0 108/25 धारा-109 (1) /110/115(2)/288/351(3)/352/190/191 (2)/191 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

3-अभिषेक सिंह पुत्र जीतलाल नि0 नौहर हसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
1. मु0अ0सं0 82/25 धारा- 109 (1) /115(2)/3 (5) / 351 (3) / 352 बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 108/25 धारा-109 (1) /110/115(2)/288/351(3)/352/190/191 (2)/191 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

4-मोनू सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह नि0 नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
1. मु0अ0सं0 82/25 धारा-109 (1) / 115 (2) / 3 (5) / 351 (3) / 352 बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
2. मु0अ0सं0 108/25 धारा-109 (1) /110/115 (2)/288/351(3)/352/190/191 (2)/191 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

5-सुनील उर्फ डब्बू सरोज पुत्र रामकलप सरोज नि() बीरमऊ थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
1.मु0अ0सं0 12/21 धारा-147/323/504/506/452 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
2.मु0अ0सं0 407/22 धारा-323/504/506 भादवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ।
3.मु0अ0सं0 179/23 धारा-323/332/353/427/506 भादवि थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
4.मु0अ0सं0 108/25 धारा-109(1)/110/115(2)/288/351(3)/352/190/191(2)/191(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

थाना पट्टी -
1-रुकसार पुत्र मोईनुद्दीन उर्फ मोईन निवासी ग्राम पूरेदेवजानी थाना कंधई प्रतापगढ़।
1.मु0अ0सं0 143/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 444/16 धारा 376 डी भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रता0।
3.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।

2-शहबाज उर्फ लम्बू पुत्र मोईनुद्दीन उर्फ मोईन निवासी पूरेदेवजानी थाना कंधई प्रतापगढ़।
1.मु0अ0सं0 610/19 धारा 392/411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रता0।
2.मु0अ0सं0 195/19 धारा 394/411 थाना कन्धई प्रता0।
3.मु0अ0सं0 279/21 धारा 120बी/307/34/411/413/504 थाना रानीगंज प्रता0।

4.मु0अ0सं0 183/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना लालगंज प्रता0।
5.मु0अ0सं0 422/24 धारा 109/110/115(2)/190/191(2)(3)/351/352 बीएनएस थाना कोतिाली नगर प्रता0।
6.मु0अ0सं0 1030/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना पूलगांव जिला वर्धा राज्य महाराष्ट्र।
7.मु0अ0सं0 778/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना चादूंर रेलवे जिला अमरावती राज्य महाराष्ट्र ।
8.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।
9.मु0अ0सं0255/18 धारा 3/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुक्रूरत अधि0 थाना कन्धई प्रतापढ।
10.मु0अ0सं0 336/19 धारा 395/397/398/412 भादवि थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
11.मु0अ0सं0 252/20 धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी।
12.मु0अ0सं0 136/20 धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना मऊमईमा जनपद प्रयागराज।
13.मु0अ0सं0 438/19 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना मऊअईमा जनपद प्रयागराज।
14.मु0असं0 704/19 धारा 120बी/3074/392/411/420/467/468/472 भादवि थाना ट्रान्सपोर्ट नगर मेरठ।

3- शहरेयार पुत्र इबरार निवासी बहरापुर थाना मान्धाता प्रतापगढ़।
1.मु0अ0सं0 345/20 धारा 2/3 यूपी गैगे0 एक्ट थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।
3.मु0असं0 454/19 धारा 397/395/412/120बी भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
4.मु0अ0सं0 249/18 धारा 394/411 भादवि थाना मांन्धाता प्रतापगढ़।

4- गुफरान उर्फ छंगू पुत्र आबाद अली उर्फ औलाद निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
1.मु0अ0सं0 245/20 धारा 392/286 भादवि थाना कोहडौर प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 759/20 धारा 379 भादवि थाना को0 सिटी प्रतापगढ़।
3.मु0अ0सं0 169/21 धारा 307/393/504 भादवि थाना कोहडौर प्रतापगढ़।
4.मु0अ0सं0 84/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कंधई प्रतापगढ़।
5.मु0अ0सं0 333/22 धारा 2/3 यूपी गैगे0 एक्ट थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
6.मु0अ0सं0 258/23 धारा 307/286 भादवि थाना अंतू प्रतापगढ़।
7.मु0अ0सं0 368/20 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना कंधई प्रतापगढ़।
8.मु0अ0सं0 737/18 धारा 147/286/506 भादवि थाना को0 सिटी प्रतापगढ़।
9.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।
10.मु0अ0सं0 310/21 धारा 120बी/302/307/34 भादवि थाना कंधई प्रतापगढ़।
11.मु0अ0सं0 393/21 धारा 147/148/149/286/307 भादवि थाना रानीगंज प्रयागराज।

5- महफूज पुत्र मोईद अली नि0 पूरे देव जानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।
1.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 141/21 धारा 188/269/270 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना कंधई प्रतापगढ़।

6- शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम गडवारीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ।

1.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 122/18 धारा 307/506 भादवि थाना अंतू प्रतापगढ़।
3.मु0अ0सं0 207/18 धारा 392/411 भादवि थाना अंतू प्रतापगढ़।
4.मु0अ0सं0 161/25 धारा 115(2)/3(5)/324(4)/351(2) बीएनएस भादवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़।

7- शहंशाह पुत्र सोहराब निवासी तिवारीपुर खुर्द बहरूपुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़।
1.मु0अ0सं0 610/19 धारा 395/412/504/506 भादवि थाना लालगंज प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 183/20 धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना लालगंज प्रतापगढ़।
3.मु0अ0सं0 136/20 धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना मऊअईमा जनपद प्रयागराज।
4.मु0अ0सं0 535/19 धारा 3/25 आयु अधि0 थाना मऊअईमा जनपद प्रयागराज।
5.मु0अ0सं0 438/19 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना मऊअईमा प्रयागराज।
6.मु0अ0सं0 572/22 धारा 120बी/395/412 भादवि थाना सोरांव प्रयागराज।
7.मु0अ0सं0 443/22 धारा 411/419/420/467/468/471 भादवि थाना कर्नलगंज प्रयागराज।
8.म0अ0सं0 444/22 धारा 307 भादवि थाना कर्नलगंज प्रयागराज।
9.मु0अ0सं0 445/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कर्नलगंज प्रयागराज।
10.मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/ 61(2)/109(1)/351(3) बीएनएस व 7 CLA ACT थाना पट्टी प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस जनपदवासियों की सुरक्षा हेतु सतत रूप से प्रतिबद्ध है।*

बयान- जनपद में अपराध व अराजकता के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कानून-व्यवस्था में विघ्न डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी अपराधियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दण्ड दिलाया जाएगा।

जनपदवासियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।